<u>न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।</u>

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–**37/2022**

राज्य **प्रति** सुन्दर राम आदि

<u>21.10.2024</u>

वाद पुकारा। अभियुक्त सुन्दर राम जमानत पर उपस्थित। अभियुक्त अर्जुन राम जमानत पर है, परन्तु आज अनुपस्थित है। उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह कोरंगा के Proxy Counsel श्री अजेन्द्र सिंह कोरंगा उपस्थित। अभियोजन की ओर से श्री जी0बी0 उपाध्याय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली आज अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लिए निर्धारित है।

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित Proxy Counsel द्वारा कागज संख्या 71ख से प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त अर्जुन कुमार घर में आवश्यक कार्य होने के कारण आज मा0 न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका है तथा उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज माननीय न्यायालय नहीं आ सके हैं, जिस कारण आज अभियुक्तगण के बयान अन्र्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता हो पाना संभव नहीं है, इसलिए अभियुक्त अर्जुन कुमार की आज की अनुपस्थिति माफ कर अभियुक्तगण के बयान अन्र्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु एक अन्य तिथि देने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। स्वीकृत। अंतिम अवसर दिया जाता है। दोनों अभियुक्तगण नियत तिथि को उपस्थित होंगे।

पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अन्र्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक **27.11.2024** को पेश हो।

(नरेन्द्र दत्त)
विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।